झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
:: *संकल्प* ::

कृपया पढ़े :–

1. उपायुक्त, गुमला का पत्रांक–253 / डी0सी0, दिनांक 19.02.2003 एवं पत्रांक–813(ii) / स्था0, दिनांक 20.07.2016
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–1878, दिनांक 01.04.2003 एवं पत्रांक–4906, दिनांक 02.09.2003

श्री प्रताप चन्द्र किचिंगिया, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–655 / 03, गृह जिला– राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट, गुमला, सम्प्रति–संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध उपायुक्त, गुमला के पत्रांक–253 / डी0सी0, दिनांक 19.02.2003 द्वारा प्रपत्र– 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है–

आरोप सं0–1– **सरकारी राशि का दुरूपयोग**– सरकार द्वारा विकास योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण स्थल पर विकास योजनाओं की जानकारी देने के निमित साईन बोर्ड लगाने का प्रावधान किया गया था। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट के रूप में अपने पदस्थापन काल में आपने इसी निर्देश के तहत ग्राम कैंबा, पंचायत टेंगरिया में मगरू नाला के पास आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कार्य स्थल पर डेढ़ सूत के गेज में 7X4X3 के साईज का एक साईन बोर्ड बनवाया था, जिस पर आपके द्वारा 1,800 / – (एक हजार आठ सौ) रू0 का भुगतान किया गया। जबकि श्री शशि भूषण प्रसाद, जो इंजिनियरिंग वर्क्स के मालिक हैं, द्वारा उसी साईन बोर्ड को 850 / – (आठ सौ पचास) रूपये में बनाकर देने की बात लिखित रूप से स्वीकार किया है। ग्रेट इंजिनियरिंग वर्क्स के प्रोफार्मा विपत्र की छायाप्रति अनुलग्नक– 'क' के रूप में संलग्न है। इस प्रकार आपने साईन बोड बनवाने में 1,000 / – (एक हजार) रूपये की राशि अतिरिक्त खर्च दिखलाकर राशि का गबन किया है।

आरोप सं0–2– **सरकारी दिशा–निर्देश की अवहेलना करना**– श्रीमती रेखा शर्मा, पति श्री अरूण शर्मा, जो ब्राह्मण मुहल्ला पालकोट की रहने वाली है, को ग्राम बिलिंगबिरा में श्री विशेश्वर प्रसाद साहु, पिता शिव चरण साहु की रैयती जमीन, जिसका खाता नं0–159, प्लॉट नं0–1089, रकबा–03 डिसमिल जमीन पर इंदिरा आवास योजना के तहत् आवास निर्माण हेतु 3,000 / –(तीन हजार) रूपये का अग्रिम के रूप में भुगतान किया, जो ग्रामीण विकास विभाग के निर्गत मार्गदर्शिका उल्लिखित अनुदेश का उल्लंघन है। विशेश्वर प्रसाद साहु, वल्द शिव चरण साहु का बयान अनुलग्नक– 'ख' के रूप में संलग्न है।

आरोप सं0–3– कार्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना– आपके पदस्थापन आदेश में आपका मुख्यालय गुमला जिला का पालकोट प्रखण्ड निर्धारित किया गया था, परन्तु आप अक्सर अपने मुख्यालय से बिना कोई पूर्व सूचना एवं अनुमति के कई अवसरों पर अनुपस्थित पाये गये। इस संबंध में आपके विरूद्ध 3 (तीन) छापामारियाँ की गयी एवं हर छापामारी के दौरान आप अनुपस्थित पाये गये। अनुपस्थिति का ब्यौरा अनुलग्नक– 'ग'–1, 'ग'–2 एवं 'ग'–3 के रूप में संलग्न है, जिससे पता चलता है कि नवम्बर 1997 में दिनांक 09.11.1997 से 11.11.97 तक 3 दिन, दिसम्बर 97 में 23.12.1997 से 27.12.1997 तक 5 दिन एवं जनवरी 1998 में 07.01.1998 को एक दिन आप अनुपस्थित पाये गये। इस प्रकार आप बिना कोई पूर्व सूचना एवं आदेश के नौ दिन अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। प्रमाण स्वरूप तत्कालीन उपायुक्त, गुमला का अनुलग्नक– 'घ' के रूप में संलग्न है।

आरोप सं0–4– अनुशासनहीनता एवं गैर जिम्मेदाराना आचरण– दिनांक 02.01.1998 को आयोजित जिला स्तरीय बैठक में आपसे आपके भगोड़ेपन प्रवृति के बारे में पूछा गया तो आपने बताया कि आप अपने घर पर बाल–बच्चों की देखरेख करने हेतु घर चले जाते हैं, जबकि जाँच के क्रम में पाया गया कि आप उस समय तक अविवाहित थे। इस प्रकार आप न केवल झूठ बोलकर गुमराह करने का प्रयास किया, वरण आपने गैर जिम्मेदाराना आचरण का भी परिचय दिया, जो कि अनुशासहीनता का परिचायक है।

आरोप सं0–5– कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं रखना एवं अशोभनीय कार्य करना– आप पर कंडिका–3 एवं 4 में लगाये गये आरोप इस बात को इंगित करता है कि आपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं रखा एवं ऐसा कार्य किया है, जो न केवल सरकारी परिपत्रों का उल्लंघन है, वरण सरकारी सेवकों के लिए अशोभनीय है।

उक्त आरोप पर विभागीय पत्रांक–1878, दिनांक 01.04.2003 द्वारा श्री किचिंगिया से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री किचिंगिया के पत्रांक–455/गो0, दिनांक 12.07.2003 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

आरोप सं0–1 पर स्पष्टीकरण– श्री किचिंगिया का कहना है कि सरकार द्वारा विकास योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण स्थल पर विकास योजनाओं की जानकारी देने के निमित साईन बोर्ड लगाने का प्रावधान किया गया था। इसी क्रम में ग्राम–कैंबा, पंचायत–टेंगरिया में मगरू नाला के पास आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कार्य पर लगवाया गया साईन बोर्ड सिमडेगा स्थित एक आपूर्तिकर्त्ता से बनवाकर लगवाया गया था। आपूर्तिकर्त्ता ने सिमडेगा अनुमंडल के प्रायः प्रखण्डों में क्रय की गयी दर एवं निर्धारित साईज का साईन बोर्ड आपूर्ति करने संबंधी आदेश की मूल प्रति इन्हें दिखलाई थी। अतः उक्त साईन बोर्ड के

क्रय के पीछे कोई गलत मंशा एवं कदाचार की भावना नहीं थी। उक्त साईन बोर्ड जब क्रय किया गया था, उस समय श्री शशिभूषण प्रसाद, जो इंजिनियरिंग वर्क्स के मालिक हैं, की दुकान उस समय नहीं थी। जहाँ तक श्री शशिभूषण प्रसाद द्वारा 850/– (आठ सौ पचास) रूपये की दर पर साईन बोर्ड बनवाकर देने की बात है, इसमें सत्य का सर्वथा अभाव है, क्योंकि श्री प्रसाद द्वारा कभी भी मुझसे लिखित या मौखिक रूप से इस दर पर साईन बोर्ड आपूर्ति करने का दावा नहीं किया था। उनके द्वारा जानबूझ कर मुझसे बदला लेने की नियति से ऐसा आरोप लगाया गया था, क्योंकि श्री प्रसाद प्रखण्ड के विभिन्न योजनाओं में बिचौलिया का काम किया करते थे तथा वे प्रखण्ड भा0ज0यू0मो0 के अध्यक्ष भी थे। मैंने उन्हें कई योजनाओं से बेदखल करके लाभुक आदिवासी युवकों से स्वयं कार्य करने की कार्रवाई की थी, जिसके परिणामस्वरूप वह प्रखण्ड भाजपा के अध्यक्ष श्री शिव प्रसाद साहु से मिलकर प्रपत्र–'क' में वर्णित आरोप सं0–1 एवं 2 का सृजन कर तत्कालीन उपायुक्त श्री सुखदेव सिंह, भा0प्र0से0, गुमला को परिवाद पत्र दिया था। ग्रेट इंजिनियरिंग वर्क्स के मालिक द्वारा समर्पित विपत्र की छायाप्रति जो प्रपत्र–'क' के साथ संलग्न है, के संबंध में कहना है कि प्रखण्ड परिसर स्थित जिला स्तर से बन रहे दुग्ध उत्पादन केन्द्र का ठीकेदार श्री शिव प्रसाद साहु राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर श्री शशि भूषण ग्रेट इंजिनियरिंग वर्क्स के मालिक के साथ मिलकर कम दर में साईन बोर्ड लगाने का मिथ्या दावा पेश किया था।

<u>**आरोप सं0–2 पर स्पष्टीकरण–**</u> श्री किचिंगिया का कहना है कि श्रीमती रेखा शर्मा, पति–श्री अरूण शर्मा, पालकोट प्रखण्ड से 22 कि0मी0 की दुरी पर स्थित ग्राम–बिलिंगबिरा में श्री धनु पण्डा के घर में किराये पर लगभग 20–30 वर्षों से रह रही थी। जहाँ उसका नाम गरीबी रेखा के नीचे की सूची में अंकित था। ग्राम–बिलिंगबिरा में इंदिरा आवास निर्माण हेतु विभिन्न गरीब लाभुकों के चयन के क्रम में जनसेवक एवं ग्रामीणों द्वारा बतलाया गया कि श्रीमती रेखा शर्मा का मतदाता सूची में नाम, फोटो प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड उपलब्ध है तथा दिखलाया भी गया। बी0पी0एल0 सर्वे के आधार पर इनका पहचान सं0–6797/92–93 है, जो आई0आर0डी0पी0 रजिस्टर में क्रम सं0–215 में अंकित है। इसी आधार पर गव्य विकास का कारोबार हेतु ऋण मुहैया कराया गया, जिसकी सम्पुष्टि उप विकास आयुक्त, गुमला द्वारा भी की गयी है। इनके मकान मालिक श्री धनु पण्डा के पुत्र द्वारा मकान खाली करने हेतु बराबर दबाव डाला जा रहा था। इस परिस्थिति में ग्रामीण द्वारा अनुरोध किया गया था कि उन्हें इंदिरा आवास निर्माण की स्वीकृति दी जाय। श्रीमती शर्मा के पास इंदिरा आवास बनाने हेतु जमीन उपलब्ध है। इसी क्रम में इंदिरा आवास निर्माण की स्वीकृति दी गयी तथा निर्माण हेतु प्रथम अग्रिम 3000/– (तीन हजार) रूपये का चेक मुहैया करा दिया गया।

पंचायत के जनसेवक द्वारा द्वितीय अग्रिम के अनुशंसा के साथ श्रीमती रेखा शर्मा द्वारा जमीन क्रय करने संबंधी कागजात दिखलायी गयी, जिसे श्री विशेश्वर प्रसाद साहु, पिता–श्री शिवचरण साहु, ग्राम+पोस्ट– बिलिंगबिरा द्वारा खाता नं0–159, प्लॉट नं0–1087 से 0.3 डिसमिल जमीन इंदिरा आवास बनाने हेतु दिया गया है। मेरे द्वारा रजिस्ट्री एवं दाखिल खारीज द्वितीय अग्रिम के पूर्व करवा लेने का निर्देश अभिकर्त्ता को दिया गया परन्तु श्रीमती रेखा शर्मा द्वारा ऐसा न कर ग्राम पालकोट के गाँधी नगर में घर बनाने लायक जमीन खरीद कर पिलिन्थ स्तर तक इंदिरा आवास का निर्माण कर उसी स्थल पर द्वितीय अग्रिम की माँग की जाने लगी, जिसकी स्वीकृति मेरे द्वारा प्रदान नहीं की गयी। उनका कहना था कि बिलिंगबिरा गाँव को अब हमलोग छोड़कर पालकोट के ब्रह्मण मुहल्ला में किराये पर रहने लगे हैं। बिलिंगबिरा से दुध का व्यापार करना संभव नहीं है, क्योंकि पालकोट में दुध का अच्छा व्यापार है।

उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए इंदिरा आवास निर्माण कार्य स्थगित कर प्रथम अग्रिम की राशि 3000/– (तीन हजार) रूपये वसुली हेतु नोटिस दी गयी थी। मेरे पदस्थापन काल यानि जुलाई, 98 तक उक्त राशि श्रीमती रेख शर्मा द्वारा जमा नहीं की गयी थी। वर्तमान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा क्या अंतिम कार्रवाई की गयी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री विवेक कुमार, भा0प्र0से0, उप विकास आयुक्त, गुमला द्वारा दिनांक 27.12.1997 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट पर लगाये गये आरोपों की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन अपने पत्रांक–22/गो0, दिनांक 05.02.1998 द्वारा उपायुक्त, गुमला को भेजा गया है। उप विकास आयुक्त द्वारा दिनांक 27.12.1997 को किये गये जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट ने ऐसा बतलाया, जो गलत है, जबकि उप विकास आयुक्त, गुमला ने ही अपने पत्रांक–287/गो0, दिनांक 29.12.1997 को पालकोट प्रखण्ड के किये गये भ्रमण टिप्पणी में दिनांक 23.12.1997 से अनुपस्थित दिखाया गया है, जिसकी प्रति उपायुक्त, गुमला/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला को दी गयी है। वास्तविक यह है कि मैं दिनांक 23.12.97 से 27.12.97 तक आकस्मिक अवकाश एवं प्रतिबंधित अवकाश उपायुक्त, गुमला से लेकर क्रिसमस पर्व में सम्मिलित होने हेतु पालकोट से बाहर गया था।

<u>आरोप सं0–3 पर स्पष्टीकरण–</u> श्री किचिंगिया का कहना है कि वे अपने निर्धारित मुख्यालय में ही रहते थे। उनकी माताजी का उम्र करीब 80 वर्ष थी, जो बराबर बीमार रहा करती थीं। उनकों डॉक्टर से बराबर चेकअप करना पड़ता था। चूँकि राँची में उनकी देखभाल के लिये इनकी भाभी के अतिरिक्त कोई नहीं था, इसलिए कभी–कभी उन्हें राँची

जाना पड़ता था। वे उपायुक्त को सूचित करने के पश्चात ही राँची जाया करते थे। दिनांक 09.11.1997 को भी उनकी माँ की तबियत खराब होने की सूचना मिलने पर उनके द्वारा उपायुक्त से दूरभाष पर वार्ता कर गोपनीय शाखा में अवकाश का आवेदन देकर प्रस्थान किये थे। दिनांक 09.11.1997 से 11.11.1997 तक अनुपस्थिति के संबंध में पूछा गया स्पष्टीकरण उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है।

दिनांक 23.12.1997 से 27.12.197 तक की अनुपस्थिति के संबंध में उनका कहना है कि दिनांक 26.12.1997 एवं 27.12.1997 का दो दिनों का आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 24.12.1997 का प्रतिबंधित अवकाश का आवेदन देकर दिनांक 25.12.1997 को पड़ने वाले क्रिसमस को मनाने के लिए पालकोट से वे बाहर गये थे। चूँकि क्रिसमस ईसाइयों का सबसे बड़ा पर्व है, इसलिए उन्हें अवकाश लेना पड़ा।

दिनांक 07.01.1998 को एक दिन की अनुपस्थिति के संबंध में उनका कहना है कि दिनांक 02.01.1998 को जिला समन्वयक समिति की बैठक के लिए विभागीय परीक्षा दिनांक 08.01.1998 में सम्मिलित होने के लिए मुख्यालय से बाहर जाने हेतु लिखित आवेदन दिया गया था। परीक्षा संबंधी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला को नहीं रहने के कारण अपने पत्रांक–17/गो0, दिनांक 08.01.1998 के पारा–1 में मुख्यालय से 03:00 बजे अपराह्न में राँची चले गये हैं, का उल्लेख किया गया है। चूँकि दिनांक 08.01.1998 को विभागीय परीक्षा विधि भाग–I एवं II जिसमें इन्हें सम्मिलित होना था, इसलिए ये दिनांक 07.01.1998 को अपराह्न में राँची के लिए प्रस्थान कर गये।

उक्त अनुपस्थिति के संबंध में अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट, गुमला के कार्यावधि में की गयी थी, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा पत्रांक–7/गो0, दिनांक 08.03.1998 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित कर दी गयी थी।

<u>आरोप सं0–4 पर स्पष्टीकरण–</u> श्री किचिंगिया का कहना है कि राँची में इनका संयुक्त परिवार था तथा इनके बड़े भाई को पुलिस विभाग में होने के कारण छुट्टी नहीं मिल पाती थी, जिसके चलते उनके छोटे–छोटे बच्चों का देख–भाल एवं गृह संबंधी अन्य कार्यों को करने के लिए कभी–कभी नियंत्री पदाधिकारी से अनुमति लेकर राँची जाना पड़ता था। इनके द्वारा परिवार शब्द का उल्लेख इन्हीं कारणों से किया था।

<u>आरोप सं0–5 पर स्पष्टीकरण–</u> श्री किचिंगिया का कहना है कि इनके द्वारा कभी भी सरकारी परिपत्रों का उल्लंघन एवं अशोभनीय कार्य नहीं किया गया है। उपायुक्त, गुमला द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आरोप लगाया गया है।

श्री किचिंगिया से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–4906, दिनांक 02.09.2003 द्वारा उपायुक्त, गुमला से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया एवं

इसके लिए स्मारित भी किया गया। उपायुक्त, गुमला के पत्रांक–813(ii)/स्था0, दिनांक 20.07.2016 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें निम्नवत् तथ्य दिये गये हैं :–

आरोप सं0–1 पर मंतव्य– सरकार द्वारा विकास योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण स्थल पर विकास योजनाओं की जानकारी देने के निमित साईन बोर्ड लगाने का प्रावधान किया गया था। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट के यप में इनके पदस्थापन काल में इनके द्वारा इसी निर्देश के तहत् ग्राम कैंबा, पंचायत टेंगरिया में मगरू नाला के पास आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कार्य स्थल पर डेढ़ सूत के गेज में 7x4x3 के साईज का एक साईन बोर्ड बनवाया था, जिस पर इनके द्वारा 1,800/– (एक हजार आठ सौ) रू0 का भुगतान किया गया। जबकि श्री शशि भूषण प्रसाद जो इंजिनियरिंग वर्क्स के मालिक हैं, द्वारा उसी साईन बोर्ड को 850/– (आठ सौ पचास) रूपये में बनाकर देने की बात लिखित रूप से स्वीकार किया है। इस प्रकार श्री किचिंगिया के द्वारा साईन बोर्ड बनवाने में 1,000/– (एक हजार) रूपये की राशि अतिरिक्त खर्च दिखलाकर राशि का गबन किया है।

आरोप सं0–2 पर मंतव्य– श्रीमती रेखा शर्मा, पति श्री अरूण शर्मा, जो ब्राह्मण मुहल्ला पालकोट की रहने वाली है, को ग्राम बिलिंगबिरा में श्री विशेश्वर प्रसाद साहु, पिता शिव चरण साहु की रैयती जमीन, जिसका खाता नं0–159, प्लॉट नं0–1089, रकबा–03 डिसमिल जमीन पर इंदिरा आवास योजना के तहत् आवास निर्माण हेतु 3,000/–(तीन हजार) रूपये का अग्रिम के रूप में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा भुगतान किया, जो ग्रामीण विकास विभाग के निर्गत मार्गदर्शिका उल्लिखित अनुदेश का उल्लंघन है।

आरोप सं0–3 पर मंतव्य– श्री किचिंगिया के पदस्थापन आदेश में इनका मुख्यालय गुमला जिला का पालकोट प्रखण्ड निर्धारित किया गया था, परन्तु इनके द्वारा अक्सर अपने मुख्यालय से बिना कोई पूर्व सूचना एवं अनुमति के कई अवसरों पर अनुपस्थि पाये गये। इस संबंध में इनके विरूद्ध 3 (तीन) छापामारियाँ की गयी एवं हर छापामारी के दौरान ये अनुपस्थित पाये गये।

आरोप सं0–4 पर मंतव्य– दिनांक 02.01.1998 को आयोजित जिला स्तरीय बैठक में श्री किचिंगिया से भगोड़पन प्रवृति के बारे में पूछा गया तो, इनके द्वारा बताया गया कि ये अपने घर पर बाल–बच्चों की देख–रेख करने हेतु घर चले जाते हैं। जबकि जाँच के क्रम में पाया गया कि ये उस समय तक अविवाहित थे। इस प्रकार इनके द्वारा न केवल झूठ बोलकर गुमराह करने का प्रयास किया गया बल्कि इनके द्वारा गैर जिम्मेदाराना आचरण का भी परिचय दिया गया, जो कि अनुशासनहीनता का परिचायक है।

आरोप सं0–5 पर मंतव्य– श्री किचिंगिया पर आरोप सं0–3 एवं 4 में लगाये गये आरोप इस बात को इंगित करता है कि ये कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं रखे एवं ऐसा कार्य

किया है, जो न केवल सरकारी परिपत्रों का उल्लंघन है, वरन सकरारी सेवकों के लिए भी अशोभनीय है।

श्री किचिंगिया के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गुमला से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत, उपायुक्त, गुमला के मंतव्य से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए **झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–14(ii) के तहत 3000 + 950 = 3950 (तीन हजार नौ सौ पचास) रूपये सरकारी राशि के हुए क्षति को श्री किचिंगिया के वेतन से वसूली करने तथा नियम–14(iv) के तहत् असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड इन पर अधिरोपित किया जाता है।**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रताप चन्द्र किचिंगिया, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

08/12/16

(ओम प्रकाश साह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5/आरोप–1–866/2014 का०–10512/राँची, दिनांक 8 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, द०छो० प्रमंडल, राँची/उपायुक्त, गुमला/उप सचिव, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/प्रशाखा–6 (चारित्री कोषांग)/श्री प्रताप चन्द्र किचिंगिया, झा०प्र०से०, संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/12/16

सरकार के उप सचिव।

(201)